

सीसीआरटी, क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी में दिनांक 05 से 14 नवम्बर, 2024

तक "विद्यालयी शिक्षा में हस्तकला कौशल का समावेश"

विषय पर कार्यशाला पहले आओ पहले पाओ के आधार

पर प्रतिनियुक्त अंतिम/पुष्टिकृत शिक्षको की सूची

क्रं सं	शिक्षक का नाम	राज्य	दिनांक
1.	सुमित सेन	त्रिपुरा	07 जून 2024
2.	पिनाकी नाग	त्रिपुरा	07 जून 2024
3.	अरुण देबबर्मा	त्रिपुरा	07 जून 2024
4.	सत्यजीत भट्टाचार्य	त्रिपुरा	07 जून 2024
5.	निलोय कांति साहा	त्रिपुरा	07 जून 2024
6.	अलकाममदा देबनाथ	त्रिपुरा	07 जून 2024
7.	प्रदीप सिंह	चंडीगढ़	8 जुलाई 2024
8.	मनीष भारद्वाज	राजस्थान	26 जुलाई 2024
9.	प्रदीप कुमार	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
10.	नीलम लांगैन	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
11.	सुमन रानी	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
12.	श्रीकान्त	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
13.	राजेंद्र कुमार	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
14.	अनिल कुमार	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
15.	नरेंद्र सिंह	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
16.	संदीप	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
17.	रामअवतार	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
18.	नटवर सिंह	हरियाणा	3 अक्टूबर 2024
19.	मोहम्मद शफी एम.वी	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
20.	शाहनाज बेगम यू.पी	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
21.	शाहीन फोनीगोथी	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
22.	नसीनुद्दीन सी. पी	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
23.	बेगम सबीना	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
24.	तस्लीम हसन	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
25.	बेबी शमिला	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
26.	नसीमा टी. बी	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
27.	एस उमा	तमिलनाडु	16 अक्टूबर 2024
28.	सीमा रानी	हरियाणा	16 अक्टूबर 2024
29.	संजय देबनाथ	पश्चिम बंगाल	27 अक्टूबर 2024
30.	देबब्रोता रॉय	पश्चिम बंगाल	27 अक्टूबर 2024
31.	मोहम्मद कबीरुल इस्ताम	पश्चिम बंगाल	27 अक्टूबर 2024
32.	मंजुनाथ एम	कर्नाटक	27 अक्टूबर 2024
33.	आनंदप्पा ए के	कर्नाटक	27 अक्टूबर 2024
34.	आशा	कर्नाटक	27 अक्टूबर 2024
35.	सवित्री बी	कर्नाटक	27 अक्टूबर 2024

"शिक्षा में हस्तकला कौशल का समावेश" पर कार्यशाला के लिए शिक्षकों को नियुक्त करते समय कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए:

- प्रतिनियुक्त शिक्षकों की आयु 52 वर्ष तक होनी चाहिए। (पंजीकरण के समय जन्म तिथि का प्रमाण देना आवश्यक है।)
- कार्यशाला सरकारी/सेवारत कर्मचारियों के लिए है। सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक कक्षा I से X और शिल्प, ड्राइंग, पेंटिंग, कला, SUPW/WE जैसे विषयों को पढ़ाते हैं।
- स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका और प्रधानाचार्य तथा योग/शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वालों को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- जो शिक्षक आपके रिकॉर्ड के अनुसार सीसीआरटी द्वारा आयोजित "सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य/कार्य अनुभव" पर कार्यशाला में पहले ही भाग ले चुके हैं, उन्हें उसी कार्यशाला के लिए दोबारा प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- किसी भी संविदा या अस्थायी शिक्षक जैसे शिक्षा-कर्मि, शिक्षा-बंधु, शिक्षा-मित्र, शिक्षा मित्र, शिक्षक फैसिलिटेटर, संविदा शिक्षक आदि की प्रतिनियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।
- चूंकि संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ देश के सभी हिस्सों से भाग लेने वाले शिक्षकों के लाभ के लिए द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी प्रारूप में व्याख्यान देंगे। इसलिए, अंग्रेजी की समझ और कामकाजी ज्ञान आवश्यक है।
- चूंकि काम के घंटे लंबे होंगे और कार्यशाला शिविर के माहौल में आयोजित की जाएगी, इसलिए शिक्षकों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
- प्रतिनियुक्त शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में अपने साथ कोई एस्कॉर्ट/परिवार के सदस्य नहीं लाने के लिए कहा जा सकता है।
- कार्यशाला में एक समय में एक स्कूल से केवल एक शिक्षक को भागीदारी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- आपका प्रतिनियुक्ति आदेश अंतिम आदेश माना जाएगा और सीसीआरटी व्यक्तियों को कोई चयन पत्र जारी नहीं करेगा। हालाँकि, प्रतिनियुक्त शिक्षकों के किसी भी प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर सीसीआरटी द्वारा दिया जाएगा।
- सीसीआरटी के साथ पत्राचार के लिए हमारा पत्र संदर्भ संख्या और तारीख अवश्य उद्धृत की जानी चाहिए।

कार्यशाला के पहले दिन पंजीकरण के लिए और कार्यशाला के अंतिम दिन टीए (यात्रा भत्ता) के भुगतान के लिए, प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कागज की अलग-अलग शीट पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना होगा:-

- (i) जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- (ii) स्कूल से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र
- (iii) मूल वेतन प्रमाणपत्र
- (iv) दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
- (v) रद्द चेक/पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी
- (vi) टिकट/टिकट संख्या (आगे की यात्रा की मूल प्रति और वापसी यात्रा की फोटोकॉपी)। यात्रा के लिए पात्र श्रेणी और सबसे छोटे मार्ग के आने-जाने के टिकट खरीदने चाहिए

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य शिक्षा विभाग और संबंधित कार्यमुक्त प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक को दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और पंजीकृत नहीं किया जाएगा।